राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–458/2015

नारायण मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप आयुक्त, प्रशासन–।।, वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में आदेश दिनांक 26.02.1979 से हुई थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है अपीलार्थी की पदोन्नति के पश्चात अपीलार्थी का कैडर परिवर्तन हो गया। इस कारण से अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ एलडीसी के पद पर पदोन्नति दिये जाने की दिनांक से सेवा की गणना की जाकर दी जाए। इस प्रकार अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा एलडीसी के पद पर पूरी करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाए।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि वित्तीय स्तरोन्नयन नियमानुसार एक राज्य कर्मचारी को सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन स्तरोन्नयन दिये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी को उक्त तीन स्तरोन्नयन दिये जा चुके है। अतः 27 वर्षिय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ देय नहीं है। सेवाभिलेख के अनुसार अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर प्रथम् नियुक्ति के रूप में दिनांक 26.02.1979 को अस्थायी पद पर पदस्थापित हुआ है एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर दिनांक 27.10.1980 को स्थायी किया गया। इसके पश्चात् कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रथम् पदोन्नती दिनांक 24.12.1986 को हुई है। अपीलार्थी की 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 24.12.1995 एवं द्वितीय पदोन्नती दिनांक 30.07.2008 को हुई है। इसके पश्चात् 18 वर्षीय चयनित वेततमान के रूप में अगली पदोन्नती का वेतनमान वेतन श्रंखला 5000–150–8000 में दिनांक 24.12.2004 को चयनित वेतमान दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को प्रथम् नियुक्ति के पश्चात्

प्रथम् कनिष्ठ लिपिक द्वितीय वरिष्ठ लिपिक एवं तृतीय कार्यालय सहायक पद का वेतनमान तीन स्तरोन्नयन का लाभ मिल चुका है। अपीलार्थी की प्रथम् नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अस्थायी पद पर आदेश दिनांक 26.02.1979 के द्वारा हुई है। अपीलार्थी की कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नती आदेश दिनांक 20.12.1986 को हुई है। अपीलार्थी को लिपिक पद का निम्नानुसार वेतन श्रृंखला 490–10–550–15–640–20–840 पदोन्नती पर मूल वेतन 490 दी गई। इसके पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.01.1996 को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान वरिष्ठ लिपिक पद का वेतनमान 1200–30–1560–40–2000–50–2050 1200 मूलवेतन दिया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.03.2005 के द्वारा 18 वर्षीय चयनित वेतन श्रृंखला जो कार्यालय सहायक पद पर देय वेतनमान 5000–150–8000 पर 5150 मूल वेतन दिनांक 24.12.2004 से दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को कार्यालय सहायक पद के लिए देय वेतनमान दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 24.12.2013 से चाहा गया है, जबकि श्रीमान् आयुक्त प्रशासन द्वितीय वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर के आदेश संख्या 75 दिनांक 17.01.2014 के द्वारा तृतीय चयनित वेतन स्वीकृत नहीं किया गया तथा अपीलार्थी दिनांक 31.12.2013 को सेवानिवृत हो गया। अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया। अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान दिया गया साथ अपीलार्थी को वरिष्ठ लिपिक पद पर आदेश दिनांक 28.07.2008 द्वारा पदोन्नती दी गई थी। श्रीमान् उपायुक्त प्रशासन द्वितीय वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर के आदेश संख्या 75 दिनांक 17.01.2014 द्वारा 27 वर्षीय चयनित वेतमान का लाभ नहीं दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदस्थापन उपरान्त प्रथम वित्तीय लाभ कनिष्ठ लिपिक की वेतन श्रृंखला पद पर पदोन्नति प्राप्त कर चुका है। इसके पश्चात अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ वरिष्ठ लिपिक पद की वेतन श्रृंखला में दिया गया। इसके उपरान्त अपीलार्थी उसी पद पर पदोन्नत होकर द्वितीय वित्तीय लाभ प्राप्त कर चुका है। अपीलार्थी को तृतीय स्तर का लाभ कार्यालय सहायक के पद की वेतन श्रृंखला पर 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिये जाने पर प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपीलार्थी तीन वित्तीय लाभ प्राप्त कर चुका है। अतः अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। अपीलार्थी का

यह कथन कि अपीलार्थी की सेवा की गणना एलडीसी के पद पर पदोन्नति होने से की जाए। अपीलार्थी की ऐसी मांग उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी की पूर्व की सेवा की गणना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो अपीलार्थी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में दी थी, जिसके पश्चात अपीलार्थी ने एलडीसी के पद पर पदोन्नति प्राप्त की थी। अपीलार्थी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में दी गयी सेवा व एलडीसी के पद पर पदोन्नति सेवा का भाग है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को में कोई बल होना हम नहीं पाते हैं। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)